न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 22.08.2022

जरिये कीर्ति शर्मा,प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
— प्रार्थी

बनाम

मै0 सुनिल कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल चौधरी दूध डेयरी चौराहा मालपुरा जिला टोंक
— अप्रार्थी

जब्तशुदा 16 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—

1— पेराकार सरकार — प्रार्थी की ओर से
2— श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक — अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 18.01.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है दिनांक 05.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक मालपुरा के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जॉच हेतु संयुक्त जॉचदल के रूप में मालपुरा शहर में दूदू रोड पर दूध डेयरी चौराहा पर पहुचें। मौके पर सुनिल कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल चौधरी का मकान जिसमें नीचे शटर लगी हुई दुकानें बनी हुई है जिनके शटर आधे खुले हुए तथा गैस के पाईप बाहर लटके हुए थे। उक्त दुकानों में खुले शटर में झाक कर देखने पर घरेलू गैस सिलेण्डर दिखाई दिऐ। इस पर श्री सुनिल को मौके पर बुलाया गया। श्री सुनिल एंव उसका भाई श्री तेजकरण की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। श्री सुनिल के मकान में स्थित दुकान में घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) कुल 16 सिलेण्डर रखे होना पाये गये। इसके अतिरिक्त यहॉ पर एक मोटर मय पाईप एवं रेगूलेटर रखी हुई थी जो कि सिलेण्डर में से गैस को अन्य उपकरण/गैस के वाहन की टंकी में स्थानान्तरित करने के काम आती है। चूंकि घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है जिसके कारण उक्त गैस

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

सिलेण्डर मय मोटर रेगूलेटर पाईप को कब्जे राज लिया गया,जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	268806	IOC	14.2	15.5	27.3	11.8
02	495127	HP	14.2	15.8	27.8	12.0
03	323134	Bharat	14.2	16.1	27.7	11.6
04	249184	HP	14.2	15.2	27.5	12.3
05	134390	HP	14.2	15.4	27.7	12.3
06	556558	HP	14.2	15.4	29.8	14.4
07	668349	HP	14.2	15.8	29.8	14.0
08	306960	HP	14.2	15.9	29.9	14.0
09	220592	HP	14.2	16.3	30.0	13.7
10	246547	HP	14.2	15.9	29.6	13.7
11	929464	HP	14.2	15.6	29.6	14.0
12	157704	HP	14.2	15.4	29.7	14.3
13	251064	HP	14.2	15.6	15.7	0.1
14	472271	HP	14.2	16.2	28.4	12.2
15	591106	HP	14.2	15.9	28.2	12.3
16	655116	HP	14.2	15.6	27.8	12.2
योग						194.9

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

इस प्रकार श्री सुनिल कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना करना पाया गया जिसके बारे में कोई साक्ष्य श्री सुनिल कुमार द्वारा नहीं किया गया । व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 16 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 194.9Kgएलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व मोटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि दिनांक 05.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दूध डेयरी चोराहा, दूदू रोड, मालपुरा शहर के यहां से कुल 16 गैस सिलेंडर व अन्य उपकरण तथा सामान जब्त किया गया था जो कि पूरी तरह से अवैध व गैरकानूनी कार्यवाही थी। निरीक्षक दल ने गलत रूप से प्रार्थी विपक्षी के मकान व दुकानों में गैस सिलेंडर रखे हुए होना अंकित करते हुए वहा पर मोटर मय पाईप व रेग्यूलेटर को प्रार्थी के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर से गैस को अन्य उपकरण व गैस के वाहन की टंकी में स्थानान्तरण करने के काम में लेना और घरेलू गैस सिलेंडर्स का अवैध भंडारण करना गलत रूप से अंकित किया है। वास्तविकता यह है कि जिस मकान व परिसर से उक्त रेग्यूलेटर व मोटर व सामान आदि बरामद करना बताया गया है,वह मकान व दुकानें विमला देवी पत्नी स्व. मोहनलाल चौधरी निवासी दूदू रोड, मालपुरा के स्वामित्व व आधिपत्य की है। कार्यवाही दल ने मौके पर मकान मालकिन विमला देवी को न तो बुलाया और ना ही उनके कोई बयान लिये, न ही उन्हे कोई नोटिस दिया और ना ही कोई किरायानामा या अन्य कोई दस्तावेज प्रार्थी विपक्षी के नाम का लिये बिना तथा यह साबित हुए बिना कि उक्त परिसर प्रार्थी विपक्षी के कब्जे या आधिपत्य या स्वामित्व में केसे है, इस तथ्य की पुष्टि किये बिना बरामद घरेलू गैस सिलेंडर्स को व्यवसायिक उपयोग में लेकर अवैध भंडारण व रिफिलिंग का कार्य करना बताकर एल.पी. जी. कंट्रोल ऑर्डर 2000 का उल्लंघन करना गलत रूप से अंकित कर दिया, जबकि उक्त परिसर, मकान व दुकानों का पट्टा विमला देवी के नाम दिनांक 19.12.2012 को नगर पालिका मालपुरा द्वारा जारी किया गया था और परिसर के मालिक व स्वामिनी विमला देवी ही थी । प्रार्थी विपक्षी को मेसर्स सुनील कुमार नाम की फर्म का मालिक व स्वामी बताकर गलत रूप से प्रार्थी के विरूद्ध यह कार्यवाही संस्थित की है। विमला देवी के उक्त मकान व दुकानों में मोटरसाईकिल व साईकिल तथा अन्य वाहनो के पक्चर ठीक करने की दुकान थी, जहा ट्यूब टायरो में हवा भरने के लिए मोटर मय पाईप के लगी हुई थी,जिसे गलत रूप से गैस रिफिलिंग की बताकर जब्त की गई है। जांच दल ने उक्त कार्यवाही दिनांक 5.8.2022 को करना

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

बताया है। वास्तविकता यह है कि उन दिनों डिग्गी कल्याण जी के यहां तथा रामदेवरा आदि जगह रोजाना हजारो पदयात्री मालपुरा शहर और डेयरी चोराहा दूदू रोड से होकर गुजर रहे थे। इन पदयात्रियों की सेवार्थ दूदू रोड, डेयरी चोराहा, मालपुरा के आस पास के रहने वाले लोगो ने पदयात्रियों के लिए चाय, नाश्ता व 24 घंटे भोजन आदि की सेवाए उपलब्ध करवाने के लिए स्वेच्छा से भंडारा खोल रखा था और उक्त भंडारें के संचालन हेतु स्वेच्छा से गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं ने वहां सहयोगार्थ अपने-अपने गैस सिलेंडर रखे थे, जिनमें से उक्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने वाले अधिकृत गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के नाम निम्न प्रकार है:-

1. श्री कृष्ण अवतार पुत्र मोहनलाल चौधरी निवासी- दूध डेयरी चोराहा, वार्ड 1 मालपुरा गेस सिलेंडर संख्या-2 एच.पी. कम्पनी
2. गोपाल पुत्र छोटू जाट निवासी जाखडो की ढाणी, डोरिया, मालपुरा, गैस सिलेंडर संख्या-1 एच. पी. कम्पनी
3. संतोष देवी जाट पत्नी रामजी लाल जाट निवासी जाखडो की ढाणी, डोरिया, मालपुरा, गैस सिलेंडर संख्या- 1 एच.पी. कम्पनी
4. विमला देवी पत्नी मोहनलाल चौधरी, दूध डेयरी के पास, मालपुरा, गेस सिलेंडर संख्या-2 एच. पी. कम्पनी
5. मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप चौधरी निवासी सास, मालपुरा, गेस सिलेंडर संख्या-1 पी.एच. कम्पनी
6. श्याम सुंदर शर्मा पुत्र विद्याधर शर्मा निवासी बूढा देवल, मालपुरा, गैस सिलेंडर संख्या-2, एच. पी. कम्पनी
7. रामरतन माली पुत्र नन्दा लाल माली निवासी जवाहर नगर, मालपुरा, गेस सिलेंडर संख्या-2 एच. पी. कम्पनी
8. भंवर चोहान निवासी दूध डेयरी के पास, मालपुरा, गेस सिलेंडर संख्या-2 एच.पी. कम्पनी
9. राजेश कुमार शर्मा पुत्र जगदीश कुमार शर्मा निवासी, दूदू रोड, मालपुरा गेस सिलेंडर संख्या-2 एच.पी. कम्पनी
10. मनराज देवी पत्नी जीतराम गुर्जर निवासी पिनणी, मालपुरा, गेस सिलेंडर संख्या-1, बी. पी.सी.एल. कम्पनी

उक्त समस्त उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन की डायरियों की फोटो प्रतियां जवाब के साथ संलग्न है। जांच दल ने पदयात्रियों के द्वारा सार्वजनिक जनसेवार्थ लगाए गए भंडारें में नाश्ता व खाना आदि बनाने के लिए उपलब्ध करवाए गए उक्त उपभोक्तओं के घरेलू गैस सिलेंडरों को बिना उनका तथा प्रार्थी जवाबदाता एवं भंडारा चला रहे स्वयंसेवको का पक्ष सुने बिना गलत रूप से इन्हे जब्त किया है। दिनांक 05.08.2022 को जांच दल द्वारा कार्यवाही करते समय उक्त परिसर की मकान मालकिन विमला देवी

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

व भंडारा चला रहे स्वयं सेवको एवं उक्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने वाले उपभोक्ताओं द्वारा मोके पर आकर सारी स्थिति से जांच दल को अवगत करा देने एवं उक्त गैस सिलेंडर के कनेक्शन सम्बन्धी डायरिया बता देने के बावजूद भी जांच दल ने गलत रूप से इन्हे जब्त कर अवैध कानूनी कार्यवाही की है। जांच दल ने मौके पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह की, प्रार्थी जवाबदाता के बयान भी नही लिये और ना ही सुनवाई का कोई मोका दिया। अतः जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को वापस उपभोक्ताओं दिलवाये जाना न्याय संगत है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 05.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक मालपुरा के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जॉच हेतु संयुक्त जॉच दल के रूप में मालपुरा शहर में दूदू रोड पर दूध डेयरी चौराहा पर पहुचें। मौके पर सुनिल कुमार पुत्र स्व. मोहन लाल चौधरी का मकान जिसमें नीचे शटर लगी हुई दुकानें बनी हुई है,जिनके शटर आधे खुले हुए तथा गैस के पाईप बाहर लटके हुए थे। उक्त दुकानों में खुले शटर में झाक कर देखने पर घरेलू गैस सिलेण्डर दिखाई दिए। इस पर श्री सुनिल को मौके पर बुलाया गया। श्री सुनिल एंव उसका भाई श्री तेजकरण की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। श्री सुनिल के मकान में स्थित दुकान में घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) कुल 16 सिलेण्डर रखे होना पाये गये। इसके अतिरिक्त यहॉ पर एक मोटर मयपाईप एवं रेगूलेटर रखी हुई थी जो कि सिलेण्डर में से गैस को अन्य उपकरण/गैस के वाहन की टंकी में स्थानान्तरित करने के काम आती है। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया गया जिसके संदर्भ में श्री सुनिल कुमार से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। चूंकि घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है जिसके कारण उक्त गैस सिलेण्डर मय मोटर रेगूलेटर पाईप को कब्जे राज लिया गया। इस प्रकार श्री सुनिल कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना करना पाया गया जिसके बारे में कोई साक्ष्य श्री सुनिल कुमार द्वारा नहीं किया गया ।अतः जब्त सामग्री मोटर मय रेगूलेटर एवं 16 खाली/भरे हुए गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु बापू गैस एजेन्सी मालपुरा के प्रतिनिधि श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री रामकिशोर चौधरी निवासी ग्राम कडींला तहसील मालपुरा की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहॉ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 16 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 194.9Kgएलपीजी,

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

रबर पाईप, मय रेगुलेटर व मोटर को को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जावे।

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 05.08.2022 के अनुसार मै0 सुनिल कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल चौधरी दूध डेयरी चौराहा मालपुरा जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण /जांच करने पर अवैध रूप से गैस सिलेण्डर मे से गैस को अन्य उपकरण/गैस के वाहन की टंकी मे स्थानान्तरित करने के कार्य में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 16 सिलेण्डर मय रेगुलेटर पाईप,रबर पाईप व मोटर सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	268806	IOC	14.2	15.5	27.3	11.8
02	495127	HP	14.2	15.8	27.8	12.0
03	323134	Bharat	14.2	16.1	27.7	11.6
04	249184	HP	14.2	15.2	27.5	12.3
05	134390	HP	14.2	15.4	27.7	12.3
06	556558	HP	14.2	15.4	29.8	14.4
07	668349	HP	14.2	15.8	29.8	14.0
08	306960	HP	14.2	15.9	29.9	14.0
09	220592	HP	14.2	16.3	30.0	13.7
10	246547	HP	14.2	15.9	29.6	13.7
11	929464	HP	14.2	15.6	29.6	14.0

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

12	157704	HP	14.2	15.4	29.7	14.3
13	251064	HP	14.2	15.6	15.7	0.1
14	472271	HP	14.2	16.2	28.4	12.2
15	591106	HP	14.2	15.9	28.2	12.3
16	655116	HP	14.2	15.6	27.8	12.2
योग						194.9

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 16 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर बाबूलाल,तेजकरण तथा सुनिल के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी बाबूलाल,सुनल व तेजकरण के हस्ताक्षर है। बापू गैस एजेन्सी मालपुरा के प्रतिनिधि श्री बाबूलाल चौधरी को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व गैस के वाहन की टंकी मे स्थानान्तरित करने के कार्य में प्रयुक्त करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 16 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 194.9 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते